प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 378/22 दिनांक 22/9/2022

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7, 7ए

   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– 120बी

   (3) अधिनियम .....–..... धाराये :–.....–.....

   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....समय.....

   (ब) अपराध के घटने का दिन :–**बुधवार, दिनांक 21.09.2022, समय 2.00 पी.एम.**

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **20.09.2022 समय 7 ए.एम.,**

4. सूचना की किस्म :– **कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा,**

5. घटनास्थल :–

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–**चौकी से बदिश दक्षिण–पश्चिम बफासला करीब 110 कि.मी. दूर।**

   (ब) पता :– **न्य ओम बन्ना होटल ,ग्राम डाबाणी तहसील रेवदर जिला सिरोही**

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :– **श्री बदाभाई उर्फ बलदेव पुत्र श्री कालाजी प्रजापति उम्र 38 वर्ष निवासी राह तालुका थराद जिला बनासकांटा ,गुजरात।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :–

   1. **श्री अशोकसिह पुत्र श्री हनवंतदान जाति चारण उम्र 36 वर्ष निवासी खारी कला, पोस्ट– पालासनी जिला जोधपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना मंडार जिला सिरोही।**
   2. **अनिलसिंह पुत्र श्री पर्वतसिंह उम्र 27 वर्ष जाति चारण पेशा पढाई निवासी ग्रम झांकर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही ।**
   3. **श्री अभिमन्युसिह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति चारण उम्र 38 वर्ष पेशा वकालात निवासी ग्रम झांकर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही।**
   4. **श्री रामकरण पुत्र श्री रूपदास जाति वैष्णव उम्र 38 वर्ष निवासी ब्रहमपुरी ,सिरोही तहसील एवं जिला सिरोही।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पतिया का कुल मूल्य **ट्रेप राशि 4.00 लाख /–रू0,**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

सेवामें ,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
ए.सी.बी.जालोर(राज)

विषयः– रिश्वत लेते हुए पकडवाने के हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि मै बदाभाई उर्फ बलदेव पुत्र श्री कालाजी प्रजापति उम्र 38 वर्ष निवासी राह तालुका थराद जिला बनासकांटा गुजरात का निवासी हूं मेरे समाज के मेरे पडोसी मित्र श्री मुकेश प्रजापत के विरूद्ध थाना मंडार जिला सिरोही में एक मुकदमा नंबर 143/22 दि. 15.09.2022 बलात्कार का एक महिला ने झूठा दर्ज करवाया है मुकेश के भाई भरतभाई के कहने पर मैं श्री अशोकसिंह थानेदार मंडार से मिला तो इन्होने इस मुकेश के केस में मदद करने के एवज में 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग की व वकील अभिमन्युसिह से बात कर पैसे उसे देने को कहा है मैं थानेदार को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मेरी अशोकसिह थानेदार व अभिमन्युसिंह वकील से कोई रंजीश नहीं है नहीं कोई पुराना लेनदेन बाकी है रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें

इति दिनांक– 20/09/2022

एस.डी. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,20.09.2022

एस.डी. गवाह श्री कपिश मीणा कनिष्ट सहायक 21.09.2022

एस.डी. गवाह श्री राजकुमार कनिष्ट सहायक /21.09.2022

प्रार्थी
–एस.डी.– प्रार्थी बदाभाई उर्फ बलदेव
पुत्र कालाजी प्रजापति
9879580666

कार्यवाही पुलिस

निवेदन है कि दिनांक 20.09.2022 को वक्त 7 ए.एम. पर परिवादी श्री बदाभाई उर्फ बलदेव पुत्र श्री कालाजी प्रजापति उम्र 38 वर्ष निवासी राह तालुका थराद जिला बनासकांटा गुजरात मोबाईल नंबर 9879580666 ने एक लिखित टाईपशुदा रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड मय पुलिस थाना मंडार जिला सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 143/2022 की स्वप्रमाणित प्रति मन् डॉ महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर के समक्ष कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर इस आशय की प्रस्तुत की कि मेरे समाज के मेरे पडोसी मित्र श्री मुकेश प्रजापत के विरूद्ध थाना मंडार जिला सिरोही में एक मुकदमा नंबर 143/22 दि. 15.09.2022 बलात्कार का एक महिला ने झूठा दर्ज करवाया है मुकेश के भाई भरतभाई के कहने पर मैं श्री अशोकसिंह थानेदार मंडार से मिला तो इन्होने इस मुकेश के केस में मदद करने के एवज में 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग की व वकील अभिमन्युसिह से बात कर पैसे उसे देने को कहा है मैं थानेदार को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मेरी अशोकसिह थानेदार व अभिमन्युसिंह वकील से कोई रंजीश नहीं है नहीं कोई पुराना लेनदेन बाकी है रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य मे परिवादी श्री बदाभाई उर्फ बलदेव ने उक्त रिपोर्ट अपने मिलने वाले से टाईप करना प्रस्तुत करना एव रिपोर्ट पर लिखे समस्त तथ्य सही होना एवं रिपोर्ट पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया । परिवादी ने अपने साथ आये भरतभाई जो श्री मुकेशभाई का भाई होना तथा जयंतीभाई समाज का व्यक्ति होना बताया। उक्त दोनो ने भी अपना अपना स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। परिवादी ने बताया कि आज दिनांक को मै श्री अभिमन्युसिह वकील तथा अशोकसिह थानेदार से रिश्वती राशि के संबध में वार्ता हेतु संपर्क करूंगा तो वो मेरे इस संबध में वार्ता कर लेंगे। परिवादी श्री बदाभाई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य की एवज में रिश्वती राशि की मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिभाषा में आने से रिश्वती राशि मांग का गोपयीय सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया।मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री कालूराम नं0 477 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्डर मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री बदाभाई उर्फ बलदेव से उसका आपस में परस्पर

परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री कालूराम नं0 477 को सुपूर्द कर हिदायत दी कि परिवादी बदाभाई उर्फ बलदेव के साथ जाकर रेवदर पहुंचकर अशोकसिह एवं अभिमन्युसिह से परिवादी द्वारा सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर वार्ता को रिकार्ड कर लावे, इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री बदाभाई के साथ श्री कालूराम कानि0 को अनादरा के लिए परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया गया।

दिनांक 21.09.2022 को श्री कालूराम कानि0477 हमरा परिवादी श्री बदाभाई उर्फ बलदेव के ब्यूरो कार्यालय जालोर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री कालूराम कानि0 ने डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच आफॅ हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुपुर्द किया व परिवादी श्री बदाभाई ने बताया कि अनादरा से 2 किलोमीटर सिरोही की तरफ हाईवे पर स्थित आशापूर्णा नामक होटल पर वकील अभिमन्युसिह से मिला तो उस वक्त इनके साथ रामकरण नामक एक ओर वकील था जिन्होने मेरे निवेदन पर 10.00 लाख रूपये से कम करते हुए 5 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की है व अन्य बाते भी है जो डिजीटल रिकार्डर मे रिकार्ड है मन् एएसपी द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर में उक्त रिकार्ड वार्ता के मुख्य अशों को सुना गया तो रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होते हुए आज दिनांक 21.09.2022 को 5.00 लाख रूपये देना तय होना पाया गया। उक्त 5 लाख मे से एक लाख रूपये कल रात को रामकरण मेरे से रात को प्राप्त कर चुका है व शेष 4 लाख रूपये आज दिनांक को देना तय हुआ है उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार करवाकर शामिल पत्रावली की जायेगी। परिवादी श्री बदाभाई को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने 4.00 लाख रूपये साथ लाना बताया। ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्कता होने से श्री आदूराम कानि0 142 को श्रीमान उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जालोर के नाम तहरीर देकर उनसे संपर्क कर नाम तहरीर देकर कार्यालय के दो गवाहो को ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थिति देने बाबत् हिदायत देकर रवाना किया गया।श्री आदूराम कानि0 142 मय दो गवाह के ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आये । गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए आने के मंतव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछने पर क्रमशः श्री कपिश मीणा पुत्र श्री महेंद्र मीणा उम्र 28 वर्ष जाति मीणा निवासी 44, अम्बिका आवास ,बोरखेडा, कोटा जिला कोटा हाल कनिष्ट सहायक, कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जालोर, मोबाईल नम्बर 8003064699 एवं श्री राजकुमार भील पुत्र श्री बैजनाथ भील उम्र 31 वर्ष जाति भील निवासी 211, रीद्ल्या बुजुर्ग ,टोंक जिला टोंक हाल कनिष्ट सहायक, कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जालोर, मोबाईल नम्बर 8875526160 के रूप में दिया। जिनका उपस्थित परिवादी श्री बदाभाई से परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया व पढाया गया तथा परिवादी एंव आरोपीगण के मध्य दिनांक 20.09.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है के मुख्य अंशों को स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एंव गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तस्सली कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन बनने की सहमति प्रदान की एंव परिवादी की रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये।स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री बदाभाई पुत्र श्री कालाजी जाति प्रजापति निवासी राह तालुका थराद जिला बनासकांटा (गुजरात) ने आरोपी श्री अशोकसिह उप निरीक्षक पुलिस ,थानाधिकारी पुलिस थाना मंडार जिला सिरोही के कहेनुसार सहआरोपी श्री अभिमन्युसिह वकील को रिश्वत में दी जाने वाली राशि में दो–दो हजार रूपये नोट की दो गड्डियां , प्रत्येक गड्डी जिसमें 100–100 नोट कुल 200 नोट कुल राशि 4.00 लाख रूपये, प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	DN	185975
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	AT	821238
3	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	AE	124110
4	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	CP	114561
5	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	KH	142645
6	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	BH	159196
7	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	KN	971092
8	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	FP	810410
9	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	CD	358999
10	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	MV	824183
11	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	AC	858395
12	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	CV	475184
13	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	DM	397072

14	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	EV	391121
15	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	HW	880001
16	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	FQ	269524
17	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	KK	677650
18	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	KR	130931
19	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	DT	060072
20	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	GR	963608
21	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	GD	594510
22	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	HA	438266
23	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	HB	455590
24	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	CS	824402
25	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	AR	703521
26	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	EP	407537
27	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	HU	937955
28	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	AK	589421
29	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	AW	096232
30	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	NB	171471
31	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	KS	176635
32	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	DF	010621
33	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	HC	439523
34	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	KL	210663
35	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	GM	931404
36	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	CT	636778
37	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	CF	935322
38	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	FE	665510
39	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	CS	438582
40	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	FM	469516
41	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	CA	804271
42	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	EA	096051
43	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	BV	183676
44	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	DM	166197
45	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	BU	117891
46	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	HP	676666
47	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	EN	715351
48	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	KM	615998
49	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	CF	131753
50	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	GA	802459
51	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	EB	247011
52	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	MN	987535
53	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	EK	444781
54	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	AF	473070
55	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	BN	745025
56	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	CV	861810
57	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	CK	588108
58	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	BT	723097

59	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	HR	125699
60	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	CH	913335
61	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	GA	221443
62	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	DE	862586
63	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	AR	124877
64	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	BN	772579
65	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	AF	434103
66	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	CD	345148
67	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	O	FC	494880
68	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	CU	352740
69	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	KG	523751
70	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	HQ	465401
71	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	KM	793576
72	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	AE	153244
73	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	BG	482442
74	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	BK	690914
75	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	BT	273875
76	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	CF	253046
77	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	MN	216960
78	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	DN	261042
79	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	BF	686323
80	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	AL	043913
81	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	CD	043256
82	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	KB	301037
83	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	FF	330191
84	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	BP	501434
85	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	AB	808250
86	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	GT	920322
87	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	DF	304403
88	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	DU	869941
89	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	AQ	867482
90	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	GS	779240
91	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	AF	854761
92	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	DE	273043
93	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	HQ	110345
94	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	BA	591760
95	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	FL	260141
96	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	GD	375568
97	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	FG	217590
98	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	AF	760570
99	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	FA	723524
100	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	HU	118506
101	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	BN	175318
102	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	CR	123186
103	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	CG	922841

104	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	HH	606553
105	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	EA	809483
106	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	CT	348526
107	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	FC	356921
108	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	MT	437254
109	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	BU	311223
110	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	GF	386524
111	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	GV	863661
112	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	HN	981664
113	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	CP	613842
114	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	GD	228487
115	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	BC	578202
116	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	KC	212077
117	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	GR	046277
118	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	CP	651625
119	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	KA	098420
120	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	AH	851068
121	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	AH	746802
122	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	BU	905812
123	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	KU	235699
124	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	FL	322429
125	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	FA	132737
126	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	MH	317438
127	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	HA	815444
128	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	CN	211475
129	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	KA	624162
130	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	DS	960424
131	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	LE	939235
132	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	HS	676255
133	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	AB	559357
134	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	HR	020804
135	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	HL	472984
136	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	BG	965593
137	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	CW	977088
138	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	KV	937161
139	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	GC	593613
140	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	CU	741343
141	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	AH	744572
142	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	BV	728047
143	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	FH	083195
144	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	GH	903773
145	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	BD	206574
146	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	HT	241961
147	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	FB	095664
148	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	GS	804846

149	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	FA	635606
150	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	AU	740261
151	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	GD	396723
152	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	GR	392405
153	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	CL	719710
154	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	MR	166670
155	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	KV	167000
156	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	CN	893398
157	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	EH	414537
158	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	GB	678728
159	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	BH	454802
160	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	CN	511775
161	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	EM	501769
162	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	DU	590102
163	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	AU	894664
164	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	HU	894134
165	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	KF	311518
166	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	CV	784826
167	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	CW	047895
168	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	KP	690330
169	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	AG	335626
170	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	CB	842100
171	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	LQ	680549
172	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	CF	661348
173	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	ES	772595
174	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	EC	820191
175	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	MU	472796
176	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	EN	111973
177	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	KM	154586
178	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	ET	212704
179	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	FU	798702
180	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	FK	248051
181	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	AW	944966
182	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	HK	377748
183	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	BR	553540
184	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	FL	361232
185	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	FT	479093
186	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	LM	799310
187	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	CF	581814
188	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	GN	734547
189	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	BE	747120
190	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	DK	511023
191	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	AC	786828
192	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	DW	941657
193	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	HE	451816

194	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	EL	804109
195	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	KV	329176
196	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	DT	515016
197	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	KL	019072
198	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	GN	480042
199	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	CS	735260-
200	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	FW	768516

मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 नं0 96 को निर्देश दिये जाकर श्री गुलाबसिंह कानि. नंबर 140 से मालखाना मे से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि एवं आवश्यक सामग्री मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटो को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर प्रत्येक नोटं पर श्री गुलाबसिंह कानि. नंबर 140 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री बदाभाई उर्फ बलदेव की जामा तलाशी गवाह श्री कपिश मीणा कनिष्ट सहायक से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 4.00 लाख रूपयें (100--100 नोट की की दो गड्डियां प्रत्येक गड्डी में 2.00 लाख रूपये)के नोट श्री गुलाबसिंह कानि. नंबर 140 से ही परिवादी के पहने हुये पेन्ट के बांयी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब मे रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा सह आरोपी श्री अभिमन्युसिह वकील द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में सह आरोपी श्री अभिमन्युसिह वकील से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। सह आरोपी श्री अभिमन्युसिह वकील रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहॉ छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गुलाबसिंह कानि. नंबर 140 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी एवं उपयोग में ली गई गिलास व अन्य सामग्री को मालखाना में श्री गुलाबसिह कानि. 140 से पुनः रखवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई।मन् डा. महावीसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व सहआरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुननें का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री गुलाबसिंह कानि. नं0 140 को ट्रेप कार्यवाही से पृथक रखते हुए कार्यालय हाजा पर पीछे छोड़ा जाने का निर्णय लिया गया।फर्द हाजा मुर्तिब की गई। हाजरीन को पढ़कर सुनाई गई। सुन, समझ, सही मान समस्त ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। मन् डॉ महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,मय स्वंतत्र गवहान श्री राजकुमार ,श्री कपिश मीण ,परिवादी श्री बदाभाई व श्री भरतभाई , श्री जयंतीभाई एंव ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड कानि0 नं. 93,श्री सुखाराम हैड कानि.96, श्री विक्रमसिंह कानि. 556,श्री गोपाल कुमार कानि. 537 ,श्री कालूराम कानि. 477 मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड व आवयक सामग्री के निजी वाहनो से ट्रेप कार्यवाही हेतु ग्रम अनादरा की तरफ रवाना हुए । निर्देशानुसार श्री दुर्गसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी एस.यू. जयपुर को मुख्य आरोपी श्री अशोकसिह थानाधिकारी पीएस मंडार को बाद रिश्वती राशि लेनदेन के दस्तयाबी हेतु निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के ग्राम डबाणी के पास पहुंचे परिवादी श्री बदाभाई को डिजीटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर चलाने की समझाईश कर हिदायत दी गई कि सहआरोपी श्री अभिमन्युसिह से रिश्वती राशि लेनदेन हेतु संपर्क करने पर डिजीटल टेप रिकार्ड ऑन कर वार्ता रिकार्ड करे। परिवादी श्री बदाभाई को अभिमन्युसिह ने ग्राम डबाणी में नेशनल हाईवे पर स्थित भवानी होटल पर आने का बताया । जिस

पर परिवादी श्री बदाभाई को भवानी होटल के लिए रवाना किया गया। मन् एएसपी मय हमराहयान के सहआरोपी श्री अभिमन्युसिंह के इंतजार में व्यस्त रहते । कुछ समय पश्चात भवानी होटल पर एक सफेद रंग की रेनो डस्टर गाडी रूकी कुछ समय पश्चात उक्त गाडी रवाना हो गई ।जिसके पीछे पीछे परिवादी अपने निजी वाहन से रवाना होकर कुछ दूरी पर स्थित न्यू ओम बन्ना होटल पर पहुंचे। जिनके पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के रवाना होकर उक्त न्यू ओम बन्ना होटल के पास पहुंच अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मामूर रहते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार मे व्यस्त रहे। कुछ समय पश्चात उक्त डस्टर गाडी से दो व्यक्ति नीचे उतरकर उक्त होटल में प्रवेश हुए परिवादी भी अपने निजी वाहन से उतरकर उक्त होटल में प्रवेश हुए। मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री बदाभाई पुत्र श्री कालाजी जाति प्रजापति उम्र 38 वर्ष, पैशा व्यवसाय, निवासी ग्राम राह तालुका थराद जिला बनासकांठा (गुजरात) ने वक्त करीब 2.00 पी.एम. पर ग्राम डबाणी के नेशनल हाईवे नंबर 168 पर स्थित "न्यू ओम बन्ना होटल" के आगे खुले चौक मे आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फेरकर रिश्वत राशि लेन–देन होने की सूचना दी, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान के उक्त होटल पर खडे परिवादी श्री बदाभाई के पास पहुंचे तो होटल के एसी हॉल के बगल में बने लेट–बाथ की तरफ जा रहे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि वकील अभिमन्यूसिह के कहने पर पैसे इस व्यक्ति को दिये है जो इसके पेंट की दोनो जेबो मे है तथा साथ ही परिवादी ने होटल के सामने खडी डस्टर गाडी के पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये अभिमन्युसिंह वकील है जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हूए हमरा जाब्ता के सहयोग से दोनो को दस्तियाब किया जाकर इन्हे अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत कराते हुए दोनो का परिचय पूछा तो इन्होने हड़बड़ाते हुए अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री अनिलसिंह पुत्र श्री पर्वतसिंह उम्र 27 वर्ष जाति चारण पेशा पढाई निवासी ग्रम झांकर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही व श्री अभिमन्युसिह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति चारण उम्र 38 वर्ष पेशा वकालात निवासी ग्रम झांकर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही के रूप में दिया। जिस पर उक्त दोनो को बारी–बारी से परिवादी श्री बलदय उर्फ बदाभाई को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी अभिमन्युसिंह वकील ने बताया कि हां, मैं इन्हें पहचानता हूं ये श्री बदाभाई प्रजापति थराद गुजरात साईड के रहने वाले है जिसके मुकेश नामक दोस्त के खिलाफ पुलिस थाना मण्डार में बलात्कार का मुकदमा दर्ज है इस मुकदमे की कोर्ट में पैरवी करने हेतु अभी कुछ देर पहले इस होटल के एसी हॉल में मुकदमे संबधी बातचीत कर 4.00 लाख रूपये मेहनताने के रूप में बदाराम ने मुझे देने हेतु अपनी जेब से निकाले जिनको मैने हाथ में लिये बिना ही एवं बिना गिने ही मेरे साथ आये मेरे रिश्तेदार श्री अनिलसिह को दिलवाये जिन्होने भी बिना गिने ही दो–दो लाख की एक–एक गड्डी अपने पहने हुई जींस के दाहिनी एवं बायी जेब मे रखे जो अभी भी इनके पास ही है।इनके पास ही मन् एएसपी ने सह आरोपी श्री अनिलसिंह व अभिमन्युसिह को बिना हाथ कही लगाये व यथास्थिति में रहने हेतु हिदायत दी गई एवं ब्यूरो जाब्ता को भी हिदायत दी गई की आरोपीगणों के कोहनी के नीचे नही छूये। इस संबध मे सह आरोपी श्री अनिलसिह ने बताया कि वकील साहब रिश्ते मेरे चाचा लगते है मैं चारण हॉस्टल सिरोही मे रहकर एक लाईब्रेरी मे पढाई करता हूं आज लाईब्रेरी मे साफ सफाई का काम चलने से मैं फ्री था एवं वकील साहब कोर्ट कार्य से रेवदर आबूरोड की तरफ जाते मुझे मिले तो इनके कहने से घूमने के लिए सिरोही से इनके साथ गाडी में बैठकर यहां आया व चाय पीने हेतु होटल के एसी हॉल में बैठे तभी यह बदाभाई जी प्रजापति हमारे पास आये एवं किसी मुकदमें के संबध में बातचीत करने लगे एवं बातचीत के दौरान ही दो–दो हजार के नोटों की दो गड्डियां अपनी जेब से निकालकर वकील साहब को देने लगे तो वकील साहब ने यह पैसे लेने हेतु मुझे कहा जिस पर मैने दोनो गड्डियां श्री बदाभाई से प्राप्त कर बिना गिने ही मेरे पहनी हुई जींस के दाहिनी एंव बायी जेब में रखी व एसी हॉल से निकलकर बाथरूम की तरफ जाने लगा तभी आप लोग आये व मुझे पकड लिया। ये रूपये किस बात के है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसी दौरान परिवादी से पूर्व में दिया गया डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफॅ कर अपने कब्जे में लिया कि इस पर पास खडे परिवादी श्री बदाभाई ने दोनो आरोपियो के उपरोक्त कथनो का खण्डन करते हुए स्वेच्छा से बताया कि मेरे गांव के एंव मेरे समाज के ही मेरे मित्र श्री मुकेश प्रजापत के विरूद्ध पुलिस थाना मण्डार जिला सिरोही में एक झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज है इस मुकदमा की तफ्तीश श्री अशोकसिह थानेदार पुलिस थाना मण्डार जिला सिरोही द्वारा की जा रहीं है मेरे मित्र व इस मुकदमे के आरोपी श्री मुकेश प्रजापत के भाई श्री भरत प्रजापत के कहने पर इस मुकदमें में बात करने हेतु श्री अशोकसिह थानेदार से 3–4 दिन पहले यहां मण्डार आकर मिला तो श्री अशोकसिह थानेदार ने मुकदमें में

मेरे दोस्त श्री मुकेश प्रजापत का सहयोग करने, कुछ दिनों तक गिरफ्तार नहीं करने व उसे बेवजह तंग व परेशान नहीं करने की एवज में 10.00 लाख रूपये रिश्वतं मांग कर उक्त राशि थानेदार ने अपने मित्र व श्री अभिमन्युसिह वकील को देने का कहा, किन्तु मैं इन्हें रिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिए कल दिनांक 20.09.2022 को मैने आपके कार्यालय में रिपोर्ट की व कल ही गोपनीय सत्यापन के दौरान अनादरा से 2 किलोमीटर सिरोही की तरफ हाईवे पर स्थित आशापूर्णा नामक होटल पर वकील अभिमन्युसिह से मिला तो उस वक्त इनके साथ रामकरण नामक एक ओर वकील था जिन्होने मेरे निवेदन पर 10.00 लाख रूपये से कम करते हुए 5.00 लाख रूपये में बात तय की व मुझे कहा कि इन में से 2.00 लाख रूपये श्री अशोकसिह थानेदार के एवं 2.50 लाख रूपये हाईकोर्ट के वकील के एवं 50 हजार रू हमारी फीस के है फिर वहीं से अभिमन्युसिंह ने मोबाईल वाटसएप नंबर कॉल कर उपरोक्त हुई वार्ता की जानकारी श्री अशोकसिह थानेदार को दी व ये दोनो करोटी से रेवदर के बीच में हाईवे पर एक ढाबे के सामने मुझे लेकर गये व वहां मेरी मुलाकात श्री अशोकसिह थानेदार से करवायी तब थानेदार ने हाथ के ईशारे से 5.00 लाख रूपये व्यवस्था करने एवं यह राशि श्री अभिमन्युसिंह को देने को कहा फिर दोनो वकीलों ने मुझे रूपये देने को कहा तो मैने कहा कि कल व्यवस्था हो पायेगी आज व्यवस्था नहीं हो पायेगी फिर यह लोग चले गये तथा मैं एवं एसीबी के कालूराम रात को धानेरा जाकर रूके उपरोक्त पूरा घटनाक्रम मैने डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड किया था धानेरा जाने के बाद मेरे पास रामकरण वकील का फोन आया जिसने कहा कि आज अभी टोकन मनी दो तो हम थानेदार को कहकर आपके पक्ष में काम शुरू करवाते है तब मैने कहा कि 1.00 लाख रूपये की व्यवस्था अभी हो सकती है जिस पर रात को करीब 11.00 बजे रामकरण वकील मेरे पास धानेरा आया व मेरे एक लाख रूपये प्राप्त कर मेरे सामने ही मोबाईल का स्पीकर ऑन कर श्री अशोकसिह थानेदार से बात कर कहा कि मुकेश के केस में एक लाख रूपये टोकन मनी प्राप्त हो गई है बकाया राशि कल मिल जायेगी । आप इस केस में मुकेश के पक्ष मे काम शुरू कर दो तो थानेदार श्री अशोकसिह ने हां करते हुए कहा कि इनका काम हो जायेगा उपरोक्त घटनाक्रम को भी मैने डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया था ।बकाया 4.00 लाख रूपये में से अभी अभिमन्युसिंह वकील के कहने पर 4.00 लाख रूपये मैने इनके साथ आये श्री अनिलसिह को अभिमन्युसिंह के कहने पर दिये परिवादी उपरोक्त के कथनो के संबध में वकील श्री अभिमन्युसिह से पुनः पूछा गया तो अपनी नजरे नीचे किये हुए निरूत्तर खडा रहा। उपरोक्त कार्यवाही के संबध में श्री अशोकसिह एसआई की दस्तायाबी हेतु पूर्व में भेजे गये श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर को जरिये टेलिफोन बताया जाकर मुख्य आरोपी श्री अशोकसिंह एसआई की दस्तयाबी हेतु निर्देशित किया गया । इस दौरान मौके पर आम लोगो की अत्यधिक भीड एकत्रित होनी प्रारंभ होने से अग्रिम कार्यवाही इस स्थान पर करने में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना के मध्य नजर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही एसीबी कार्यालय सिरोही पंहुच करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात दस्तियाब सुदा आरोपीगण श्री अभिमन्युसिंह एवं श्री अनिलसिह को यथास्थिति में निजी वाहनों में बिठाकर हमराह लेकर मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान ,परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के मौका स्थल से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सिरोही पहुंचा ,सिरोही पहुंच अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करते हुए स्वतन्त्र गवाह श्री राजकुमार कनिष्ट सहायक व परिवादी श्री बदाभाई के रूबरू स्वतंत्र गवाह श्री कपिश मीणा कनिष्ट सहायक से सह आरोपी श्री अनिलसिंह की जामा तलाशी लिरवाई गई तो उसके पहनी हुई जींस के आगे की दाहिनी एवं बायी जेब में भारतीय मुद्रा के 2000–2000 के नोटो की एक–एक गड्डी अर्थात कुल दो गड्डियां पाई गई । उक्त गड्डियों में बंद नोटो की दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार से गिनती करवायी तो प्रत्येक गड्डी में 100–100 नोट यानि की दो–दो लाख रूपये अर्थात कुल 4.00 लाख रूपये होना पाया गया । स्वतन्त्र गवाह श्री कपिश मीणा कनिष्ट सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क–M अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात सह आरोपी श्री अनिलसिह के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ कर कांच की दो साफ गिलासों में साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री अनिलसिह के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल

का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी रंग हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री अनिलसिह के दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात सहआरोपी श्री अनिलसिह के वक्तवाका पहनी हुई जींस (रिश्वती राशि बरामदगी स्थल)के आगे की दाहिनी एवं बायीं जेब का धोवन लेने हेतु सहआरोपी को पहनने हेतु एक अन्य पेंट दी जाकर पहनी हुई जींस उतरवाया जाकर पूर्ववत दो साफ गिलासों में साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री अनिलसिह के जींस के आगे की बायीं जेब को उलटवाकर दो–तीन बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी रंग हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने गहरा गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क जे.एल.–1 व जे.एल.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री अनिलसिह के जींस के आगे की दाहिनी जेब को उलटवाकर दो–तीन बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क जे.आर.–1 व जे.आर.–2 अंकित किया गया। उक्त जींस को कुछ देर तक बाहर हवा एवं धूप में सुखाकर जींस के दोनो जेबों के अंदर की तरफ संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर इसे एक कपडे की थैली में शिल्डमोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर इस पर मार्क जे अंकित किया जाकर वास्ते वजह सबूत तहविल एसीबी लिया गया। ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वक्त रिश्वत लेन–देन वार्तालाप, जिसकी फर्द ट्रांसकिप्ट पृथक से मुर्तिब होगी। इसी दौरान निर्देशानुसार मुख्य आरोपी श्री अशोकसिह एसआई ,थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डार को दस्तयाब कर हमराह लेकर श्री दुर्गसिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,एसीबी एसयू जोधपुर मय जाब्ता एसीबी कार्यालय सिरोही उपस्थित आये व उक्त आरोपी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता की अभिरक्षा में सुपुर्द किया, आरोपी श्री अशोकसिह एसआई को मन्तव्य से अवगत करवाकर नाम, पता व उसके लिए आरोपी श्री अभिमन्युसिह वकील तथा श्री अनिलसिंह द्वारा परिवादी श्री बदाभाई से प्राप्त रिश्वती राशि तथा परिवादी से किसी प्रकार का परिचय होने के संबध में पूछताछ की गई तो उक्त एसआई ने अपना परिचय श्री अशोकसिह पुत्र श्री हनवन्तदान जाति चारण उम्र 36 वर्ष निवासी खारी कला पोस्ट–पालासनी, जिला जोधपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डार जिला सिरोही के रूप में देकर बताया कि श्री अभिमन्युसिह एडवोकेट मेरा जानकार मित्र है जिनसे अक्सर मेरी मुलाकातें होती रहती है, मैने श्री अभिमन्युसिह को कभी भी मेरे लिए किसी से भी रिश्वत का लेनदेन करने का नही कहा गया, मैं परिवादी श्री बदाभाई को ज्यादा नही जानता हूं तीन–चार दिन पहले मुझसे मिला था तथा मै वकील श्री अभिमन्युसिह के साथी अनिलसिह को भी नही जानता हूं कल दिनांक 20.09.2022 को श्री अभिमन्युसिंह वकील श्री बदाराम को लेकर मेरे पास आये थे व मेरा दोस्त होने के नाते वकील अभिमन्युसिंह ने मुझे बदाराम का परिचय देकर थाना मण्डार के प्रकरण संख्या 143/2022 दिनांक 15.09.2022 धारा 376(2) भा.दं.सं. के आरोपी श्री मुकेश भाई प्रजापति को स्वंय का क्लाईंट बताते हुए इस मुकदमें में उसकी मदद करने का कहा था, जिस पर मैने इन्हे यह कहा था कि परिवादिया ने इनके खिलाफ ठोककर 164 सीआरपीसी के बयान कोर्ट मे दिये है इसलिए मैं कोई मदद करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन वकील साहब के ज्यादा कहने पर मैने इन्हे मदद का आश्वासन जरूर दिया था लेकिन पैसों की लेनदेन के बारे में मैने इनसे कोई बातचीत नहीं की थी । मै किसी रामकरण वकील को नहीं जानता हूं। हमराह उपस्थित श्री अभिमन्युसिंह वकील द्वारा आरोपी श्री अशोकसिह एसआई के उपरोक्त कथनो की ताईद की गई, जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री बदाराम द्वारा उक्त दोनो आरोपीगणों के कथनो का खण्डन करते हूए बताया कि यह दोनो सरासर झूठ बोल रहे है श्री अशोकसिंह एसआई ने मेरे दोस्त श्री मुकेश भाई प्रजापति के खिलाफ झूठे

बलात्कार के मुकदमें में सहयोग करने की एवज मे मेरे से रिश्वत की मांग कर रिश्वती राशि अपने दोस्त श्री अभिमन्युसिंह को देने का कहा था,थानेदार जी श्री रामकरण वकील साहब को भी अच्छी तरह से जानते है चूंकि उन्होने अभिमन्युसिंह के साथ मेरी थानेदार जी से मुलाकात करवायी व थानेदार जी के लिए उसने 20.09.2022 की रात्रि को धानेरा आकर मेरे से 1.00 लाख रूपये प्राप्त कर इस बारे में ऑन स्पीकर थानेदार जी से वार्ता कर इन्हे इस बारे सूचित करते हुए मेरे मित्र मुकेश के पक्ष में कार्यवाही शुरू करने हेतु कहा था । परिवादी के उपरोक्त कथनो के संबध में श्री अशोकसिंह एसआई से पुनः पूछताछ की गई तो बिना कुछ बोले चुपचाप नजरे नीचे किये हुए निरूत्तर रहे । परिवादी के दोस्त मुकेश भाई से संबधित प्रकरण संख्या 143/2022 की पत्रावली व इस प्रकरण में अब तक किये अनुसंधान के संबध में पूछा गया तो श्री अशोकसिह एसआई ने बताया कि पत्रावली का अनुसंधान अधिकारी मैं ही हूं पत्रावली पुलिस थाना मण्डार में मेरे कार्यालय कक्ष में रखी हुई है, पत्रावली में नतीजा संबधित कोई निष्कर्ष अभी तक नही दिया गया। उक्त अनुसंधान पत्रावली प्रकरण में मतलूब होने से पेश करने हेतु एच.एम. पुलिस थाना मण्डार जिला सिरोही को जरिए दूरभाष निर्देशित किया गया जो प्राप्त होने पर हस्ब कायदा प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जायेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वक्त 06:05 पी.एम. पर सम्पन्न हुई। लिहाजा फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढकर सुनाई गई। सुन समझ सही होना मानकर सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। श्री दुर्गसिह एएसपी भ्रनिब्यूरो एस.यू जोधपुर को मय जाब्ता को फारिक किया गया। आरोपीगण श्री अनिलसिंह, श्री अभिमन्युसिह, एवं श्री अशोकसिंह को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।मन् डॉ. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय, दोनों गवाहान श्री राजकुमार एवं श्री कपिश मीणा परिवादी श्री बलदेव उर्फ बदाराम, ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड कानि0 नं. 93,श्री सुखाराम हैड कानि.96, श्री विक्रमसिंह कानि. 556, श्री गोपाल कुमार कानि. 537 ,श्री कालूराम कानि. 477 मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री अशोकसिंह उप निरीक्षक पुलिस , श्री अभिमन्युसिह एवं श्री अनिलसिंह के जरिये निजी वाहनों के मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड एवं बरामदा रिश्वती राशि 4.00 लाख रूपये शिल्डबंद मार्क , सह आरोपी श्री अनिलसिह के दोनो हाथों अंगूलियो व अंगूठे को धोवन क्रमशः आर.एच.–1 ,आर.एच.–2 तथा एल.एच.–1 व एल.एच.–2 शिल्डशुदा ,सह आरोपी श्री अनिलसिह के वक्त वाका पहनी हुई जींस के आगे की दाहिनी एवं बायीं जेब में रिश्वती राशि 4. 00 लाख रूपये बरामद हुई जींस के उक्त जेब को धोवन शिल्डशुदा मार्क जे.आर.–1 व जे.आर.–2, तथा जे. एल.–1 व जे.एल.–2 एवं फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम इत्यादि तथा प्रकरण से संबधित समस्त फर्दात व दस्तावेजात तथा अन्य लेकर घटनास्थल न्यू ओम बन्ना होटल के लिये रवाना हुआ। मन् एएसपी मय हमराहयान के रवानाशुदा घटनास्थल न्यू ओम बन्ना होटल ग्रम डबाणी पहुंचे हमरा जाब्ता को तीनों आरोपीगणों की सुरक्षा मामूर कर परिवादी श्री बदाभाई की निशादेही से रूबरू मौतबिरान के घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब की जाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। मन् एएसपी मय उपरोक्त समस्त हमराहयान के फर्दात के मुताबित समस्त मालखाना आईटम ,आवश्यक सामग्री के तीनो आरोपीगणों को हमरा लेकर निजी वाहनो से घटनास्थल से भ्रन्ब्यिूरो जालोर हेतु रवाना हुआ।मन एएसपी मय हमराहयान मय आरोपीगणों के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। श्री सुखाराम हैड कानि. 96 ,श्री कालूराम कानि. 477 ,श्री विक्रमसिंह कानि.556 को गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री अशोकसिंह तथा श्री अभिमन्युसिह ,श्री अनिलसिंह के स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली जालोर मे जमा करवाने की हिदायत दी जाकर जरिये सरकारी वाहन से रवाना किया गया। श्री सुखाराम हैड कानि. 96 ,श्री कालूराम कानि. 477 ,श्री विक्रमसिंह कानि.556 मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री अशोकसिंह तथा श्री अभिमन्युसिह ,श्री अनिलसिंह के स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली जालोर मे जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर उपस्थित आये । प्राप्ति रसीद का बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। कानि. श्री आदूराम ने विभिन्न वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट (मांग सत्यापन, टेलिफोन पर हुई वार्ताएं,एक लाख रूपये लेनदेन प्राप्त वार्ता एवं वक्त लेनदेन हुई वार्ता) पेश की है जिनका अवलोकन किया गया व शामिल पत्रावली की । प्रकरण हाजा में बरामदा रिश्वती राशि 4.00 लाख रूपये शिल्डबंद मार्क , सह आरोपी श्री अनिलसिह के दोनो हाथों अंगूलियो व अंगूठे को धोवन क्रमशः आर.एच.–1 ,आर.एच.–2 तथा एल.एच.–1 व एल.एच.–2 शिल्डशुदा ,सह आरोपी श्री अनिलसिह के वक्त वाका पहनी हुई जींस के आगे की दाहिनी एवं बायीं जेब में रिश्वती राशि 4.00 लाख रूपये बरामद हुई जींस के उक्त जेब को धोवन शिल्डशुदा मार्क जे.आर.–1 व जे. आर.–2, तथा जे.एल.–1 व जे.एल.–2 एवं रिकार्डिंग की पैन ड्राईव इत्यादि आईटम फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम श्री सुखाराम हैड कानि. 96 को सूपूर्द कर जमा मालखाना करवाकर निर्देश दिये की संबधित आईटम को जल्दी से जल्दी इत्यादि वास्ते परीक्षण एफएसएल भिजवावे। श्री सुखाराम हैड कानि. ,श्री कालूराम कानि.,श्री विक्रमसिंह कानि. मय सरकारी वाहन मय चालक श्री जयराम कानि. को तीनों

गिरफ्तारशुदा मुलजिमान को प्राप्त करने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जालोर रवाना किया गया। रवानाशुदा जाब्ता मय मुलजिमान के उपस्थित कार्यालय आये। उपरोक्त गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों को माननीय विशिष्ट न्यायालय,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली के समक्ष आज दिनांक 22.09.2022 को पेश किया जायेगा।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री बदाभाई उर्फ बलदेव पुत्र श्री कालाजी प्रजापति उम्र 38 वर्ष निवासी राह तालुका थराद जिला बनासकांटा ,गुजरात के मित्र श्री मुकेश के विरूद्ध पुलिस थाना मंडार जिला सिरोही मे दर्ज प्रकरण संख्या 143/2022 में मदद करने तथा बेवजह परेशान नहीं करने की एवज में आरोपी श्री अशोकसिंह थानाधिकारी द्वारा 10 लाख रूपये मांगना तथा दिनांक 20.09.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि के श्री अभिमन्युसिंह के मार्फत तय होना एवं दिनांक 20.09.2022 को रात्रि में श्री रामकरण वकील द्वारा परिवादी के पास पहुंचकर एक लाख रूपये टोकन मनी के प्राप्त कर थानाधिकारी अशोकसिंह से वार्ता कराना एवं शेष राशि 21.09.2022 को ग्राम डाबाणी के न्यू ओम बन्ना होटल पर आरोपी श्री अशोकसिंह थानाधिकारी के लिए सहआरोपी श्री अभिमन्युसिंह ने रिश्वती राशि 4.00 लाख रूपये सह आरोपी श्री अनिलसिंह को दिलवाना , श्री अनिलसिह द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 4.00 लाख रूपये प्राप्त कर अपने आगे के जींस के दाहिनी एवं बायी जेब रखे उक्त राशि सहआरोपी श्री अनिलसिंह के वक्त वाका पहनीं हुई जींस के दाहिनी एवं बायी जेब से बरामद होना पाया गया।

उपरोक्त हालात से आरोपीगण सर्वश्री अशोकसिह पुत्र श्री हनवंतदान जाति चारण उम्र 36 वर्ष निवासी खारी कला, पोस्ट– पालासनी जिला जोधपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना मंडार जिला सिरोही, श्री अनिलसिंह पुत्र श्री पर्वतसिंह उम्र 27 वर्ष जाति चारण पेशा पढाई निवासी ग्रम झांकर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही , श्री अभिमन्युसिह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति चारण उम्र 38 वर्ष पेशा वकालात निवासी ग्रम झांकर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही एवं श्री रामकरण पुत्र श्री रूपदास जाति वैष्णव उम्र 38 वर्ष निवासी ब्रहमपुरी ,सिरोही तहसील एवं जिला सिरोही के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7,7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)अधिनियम ,2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण सर्वश्री अशोकसिह पुत्र श्री हनवंतदान जाति चारण उम्र 36 वर्ष निवासी खारी कला, पोस्ट– पालासनी जिला जोधपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना मंडार जिला सिरोही, श्री अनिलसिंह पुत्र श्री पर्वतसिंह उम्र 27 वर्ष जाति चारण पेशा पढाई निवासी ग्रम झांकर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही , श्री अभिमन्युसिह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति चारण उम्र 38 वर्ष पेशा वकालात निवासी ग्रम झांकर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही एवं श्री रामकरण पुत्र श्री रूपदास जाति वैष्णव उम्र 38 वर्ष निवासी ब्रहमपुरी ,सिरोही तहसील एवं जिला सिरोही के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

22.9.22

(डॉ.महावीरसिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा में 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री अशोकसिंह पुत्र श्री हनवंतदान, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना मंडार, जिला सिरोही 2. श्री अनिलसिंह पुत्र श्री पर्वतसिंह, निवासी ग्राम झांकर, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही 3. श्री अभिमन्युसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह, पेशा वकालत, निवासी ग्राम झांकर, पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही एवं 4. श्री रामकरण पुत्र श्री रूपदास, निवासी ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला सिरोही के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 378/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः 3281-85 दिनांक 22.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

22.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।